कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक : प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक : 18.04.2021 की पालना में कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक : 19.04.2021 (सोमवार) से दिनांक : 03.05.2021 (सोमवार) को प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में "जनअनुशासन पखवाड़ा" बाबत् प्रदत निर्देशों के कम में राज्य के समस्त विद्यालय/कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं दिनांक 19.04.21 से दिनांक 03.05.21 तक बंद रहेगे। उक्त अवधि में समस्त शिक्षक/कार्मिकों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है :–

1 विद्यालय/कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं कार्मिक, जो कोविड़–19 के तहत प्रदत्त दायित्वबद्ध नहीं हैं, वे अपने मुख्यालय पर रहते हुए, वर्क फोम हॉम करेंगे।

2 वर्क फोम होम वाले समस्त कार्मिक अपने मुख्यालय पर रहते हुए मोबाइल ऑन की स्थिति में रखेंगे, तथा प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चत करेंगे।

3 कोविड ड्यूटी/अनिवार्य सेवा में कार्यरत/ अथवा भविष्य में कोविड़ ड्यूटी में लगाने जाने वाले शिक्षक/कार्मिकों को तदनुसार अपने कर्तव्य हेतु प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करना है। कोविड़–19 के तहत गठित निगरानी समिति में कार्यरत संस्थाप्रधान, अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हुए दायित्व की पालना करेंगे ।

4 जिन शिक्षक/कार्मिकों की अनिवार्य सेवा/अन्य कोई आवश्यक सेवा हेतु ड्यूटी नही लगी हुई है वे समस्त शिक्षक अपने घर से ही परीक्षा परिणाम निर्माण/विश्लेषण तथा विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा संचालित स्माइल, स्माइल–2, e-कक्षा आदि कार्यकम के सहत विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु उनसे सम्पर्क में रहेंगे।

5 मण्डल, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा विभाग के कार्यालयध्यक्ष अपने जिले, उपखण्ड़ एवं ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यालयों के साथ समन्वय कर कोविड़–19 के संबंध में प्रदत्त दायित्वों के क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के समस्त सदस्यों से कोविड़ रोकधाम हेतु उपयुक्त व्यवहार की पालना की अपेक्षा की जाती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

कमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सविच,शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव,राज., जयपुर।
3 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान,बीकानेर।
4 निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
5 समस्त जिला कलक्टर गण।
6 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।/ सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8 प्रधानाचार्य, राजकीय शा.शि. महाविद्यालय, जोधपुर।
9 समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
12 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
13 समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान।
16 रक्षित पत्रावली

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर